

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग  
क्रमांक: प.1(16)साप्र/ग्रुप-5/09 पार्ट जयपुर दिनांक: 26.06.2014

समस्त प्रबन्धक,  
विश्राम भवन, राजस्थान/  
ट्रांजिट हास्टल, जयपुर।

प्रबन्धक,  
राजस्थान हाउस/ जोधपुर हाउस/  
राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस  
नई दिल्ली।

विषय :- जॉब बेसिस से सम्मिलित कार्यों के अतिरिक्त अन्य  
समस्त कार्य संबंधित फर्राश संबंधी कार्य च0श्रे0क0 से  
करवाये जाने बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक: 11.02.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान इस विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक: 11.02.2013 की ओर आकर्षित कराते हुए निदेशानुसार लेख है कि जॉब बेसिस की निविदाओं में उन्हीं कार्यों को सम्मिलित किया जाए, जिनका उल्लेख उक्त आदेश में है। इसके अतिरिक्त सभी कार्य अर्थात्, फर्राश संबंधी (लीनिन टॉवल परिवर्तन आदि), पोर्टर, सुरक्षा, आदि कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कराया जाना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश की पालना तुरन्त प्रभाव से व आवश्यक रूप से कराई जाए।

जॉब बेसिस पर कराये जाने वाले कार्यों के लिए इसी अनुरूप अर्थात् मात्र सफाई (कमरों के अन्दर एवं बाहर) एवं बागवानी संबंधी कार्य ही कराये जाने है। अतः इसी अनुरूप निविदाएँ आमंत्रित की जाए एवं पूर्व में निविदाएँ जारी कर दी गई है, तो उसे निरस्त कर दिया जाए।

भवदीय

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग  
क्रमांक: प.1(16)साप्र/ग्रुप-5/09 पार्ट जयपुर दिनांक: 27.06.2014

समस्त प्रबन्धक,  
विश्राम भवन, राजस्थान/  
ट्रांजिट हास्टल, जयपुर।


प्रबन्धक,  
राजस्थान हाउस/ जोधपुर हाउस/  
राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस  
नई दिल्ली।

विषय :- पत्र दिनांक 26.06.2014 में संशोधन।

उपरोक्त विषय में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक: 26.06.2014 की पंक्ति 03 में उल्लेखित "उक्त आदेश में" का संदर्भ वित्त विभाग की सहमति उपरान्त जारी आदेश दिनांक: 01.11.12 से है। इस प्रकार जॉब बेसिस की निविदाओं में उन्हीं कार्यों को सम्मिलित किया जाए, जिनका उल्लेख आदेश दिनांक: 01.11.12 के नोट पर अंकित बिन्दु संख्या 03 में अंकित कार्य अर्थात् सफाई कार्य एवं बागवानी कार्य से है

अब जॉब बेसिस पर मात्र सफाई कार्य (कमरों के अन्दर एवं बाहर) एवं बागवानी कार्य ही कराये जाने हैं। शेष फर्माश संबंधी (लीनिन टॉवल परिवर्तन आदि), पोर्टर, सुरक्षा, आदि कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कराया जाना सुनिश्चित करें।

जारी आदेश दिनांक 26.06.2014 को उक्तानुसार संशोधित रूप से पढ़ा जाए एवं तदनुसार ही कार्यवाही अमल में लाई जावे।

  
(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव